

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
27/2021 प्रा0प0

फैसल दिनांक
29.10.2021

उनवान

1. प्रनुलाल पिता हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी पिपलवास तहसील भदोसर
 2. पृथ्वीराज पिता चंपालाल जाट उम्र वयस्क निवासी पिपलवास तहसील भदोसर
-प्रार्थीगण

॥ बनाम ॥

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदोसर

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम पिपलवास पटवार हल्का पिपलवास तहसील भदोसर की साबिक खाता सं. 185 में दर्ज आराजी नं० 850/1, 845, 864/1, 864/2, 869, 883, 900/1, 907, 908 कुल किता 09 कुल रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा दर्ज रेकार्ड चला आ रहा था एवं साथ ही साबिक आराजी नं. 850/2 रकबा 12 बिस्वा किस्म रेखा बिलानाम सरकार दर्ज चली आ रही थी। साक्ष्य में नकल जमाबदी साबिक एवं नवीन, मिलान शीट एवं नक्शा ट्रेस साबिक एवं नवीन संलग्न प्रार्थना पत्र है। मौजा पिपलवास के आराजी नम्बर 850/2 रकबा 12 बिस्वा किस्म रेखा बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड था एवं साथी ही प्रार्थी की आराजी नं. 850/1 रकबा 12 बिस्वा दर्ज थी। परंतु दौरान सेटलमेंट आराजी नम्बर 850/2 के नये नम्बर 1007 रकबा 0.26 हैक्टैयर किस्म गे०मु० रास्ता दर्ज कर दिया जबकि मौके पर आज भी आराजी नम्बर 850/1 के साथ ही लगी हुई आराजी नं० 850/2 पर किसी प्रकार का कोई मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है। दौरान भू-प्रबंध सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा साबिक आराजी नम्बर 602 जो किस्म रास्ता दर्ज थी के साथ मिलाते हुए आराजी नम्बर 850/2 की किस्म भी गे०मु० रास्ता भू प्रबंध के दौरान दर्ज कर दी जबकि 850/2 अलग ही आराजीयात है जो आराजी नं० 850/1 जिसके नवीन आराजी नम्बर 1012 से लगी होकर प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे है। जबकि आज भी मौके पर किसी प्रकार के रास्ते के निशानात मौजूद नहीं है

और किस्म भी रेकार्ड में रेछा दर्ज चली आ रही थी लेकिन दौराने भूप्रबंधन कर्मचारियो द्वारा राजस्व रेकार्ड में रेछा के बजाय गे0मु0 रास्ता अंकित कर दिया जबकि सेटलमेंट कर्मचारियो व अधिकारियो को राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भ्झी इन लोगो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित कर दिया जिससे प्रार्थीगण के हितो एवं अधिकारो पर विपरीत असर पडा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में त्रुटि को दुरुस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 शिविर नाहरगढ़ दिनांक 29.10.2021 में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. साबिक नकल जमाबन्दी मौजा पीपलवास खसरा सं0 850/2 संवत् 2067-2070
2. नकल जमाबन्दी मौजा पीपलवास खाता सं. 01 खसरा सं0 1007 संवत् 2072-2075
3. मिलान क्षेत्रफल

प्रार्थी ने प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आराजी नम्बर 850/2 रकबा 12 बिस्वा की किस्म गे0मु0 रास्ता के बजाय पुनः साबिक रेकार्ड अनुसार किस्म रेछा की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रतीत होता है कि मौजा पीपलवास की साबिक आराजी नम्बर 850/2 रकबा 12 बिस्वा नवीन आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.26 हैक्टेयर जो कि पूर्व साबिक रेकार्ड अनुसार भूमि की किस्म रेछा दर्ज थी जिसे दौरान सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियो द्वारा गे0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया। अतः उक्त भूमि की किस्म गे0मु0 रास्ता से रेछा शुद्धि से दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पिपलवास पटवार हल्का पिपलवास तहसील भदेसर की आराजी नं0 850/2 रकबा 12 बिस्वा नवीन आराजी नं. 1007 रकबा 0.26 हैक्टेयर की किस्म पूर्व रेकार्ड अनुसार रेछा शुद्धि से इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पचायत नाहरगढ़ शिविर में टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़
भदेसर,